फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

सचिन खंडेलवाल बनाम लालचंद
दीवानी वाद संख्या 46/12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.2024	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित। श्री परमानन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित। श्री इन्द्रेश के. रामचंदानी, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की दादी हरीबाई हस्तगत प्रकरण में विवादित दुकान में किरायेदार थी, जो उनके द्वारा प्रस्तुत किराये की रसीदों से साबित है। इन किराये की रसीदों पर लालचंद के साथ–साथ हरी बाई का भी नाम अंकित है। हरी बाई के स्वर्गवास के पश्चात् विवादित दुकान पर प्रार्थीगण के पिता लालचंद काबिज रहे व उनके पश्चात् प्रार्थीगण इस विवादित किराये की दुकान पर काबिज है, परंतु वादीगण व प्रतिवादीगण ने जानबुझकर आपस में षडयंत्र रचकर प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्था पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को बतौर प्रतिवादीगण संयोजित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण को हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना बताया है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्त वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित दुकान में कभी भी हरी बाई किरायेदार नहीं रही, ना ही कभी हरी बाई द्वारा कोई किराया अदा किया गया। किराये की रसीदों पर भी लालचंद के ही हस्ताक्षर है एवं लालचंद द्वारा ही किराये की राशि नकद अथवा उसके बैंक खाते से अदा की जाती थी। हरी बाई या हरी बाई के पश्चात् उसका पुत्र या प्रार्थीगण कभी भी विवादित दुकान पर किरायेदार के रूप में काबिज नहीं रहे। हस्तगत वाद वर्ष 2012 से विचाराधीन है। प्रार्थीगण का एकमात्र उद्देश्य हस्तगत प्रकरण की कार्यवाहियों को विलंबित करना है। प्रार्थीगण के पिता लक्ष्मीचंद दासानी द्वारा पूर्व में पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात् भी लंबित रहा एवं इसे तीन वर्षो तक लंबित रखा गया, जिसके कारण हस्तगत प्रकरण की कार्यवाहियां विलंबित हुई। प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र	

अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा ही प्रस्तुत किए गए हैं। इससे भी यह साबित है कि प्रार्थीगण का एकमात्र उद्देश्य हस्तगत प्रकरण की कार्यवाहियों को विलंबित करना है। प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः उनका यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में जो किराये की रसीदे प्रस्तुत की गई है, उनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन किराये की रसीदों पर लालचंद व हरी बाई का नाम अंकित है। हरी बाई विवादित किरायेशुदा परिसर में किरायेदार थी अथवा नहीं, अथवा हरिबाई के पश्चात् उसका पुत्र लक्ष्मीचंद दासानी व उसके पश्चात् प्रार्थीगण विवादित दुकान पर बहैसियत किरायेदार काबिज है अथवा नहीं, यह साक्ष्य का विषय है। परंतु इस स्तर पर चूंकि किराये की रसीदों से हरी बाई का विवादित दुकान में किरायेदार होना दर्शित होता है एवं प्रार्थीगण का हरीबाई का उत्तराधिकारी होना दर्शित होता है एवं उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वह वर्तमान में बतौर किरायेदार काबिज है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर प्रार्थीगण मुकेश कुमार दासानी, रमेश कुमार दासानी, माया दासानी को प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के रूप में संयोजित करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया। वादी अग्रिम पेशी पर संशोधित टाइटल अथवा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते प्रस्तुत होने संशोधित टाइटल/संशोधित वादपत्र दिनांक.....को पेश हो।

(संदीप आनन्द)